…लय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(…ठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

…ख्या 158/2009 निर्णय दिनांक :– 22.10.1…

…नी दावा :

1. दुर्गालाल पुत्र छगना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
2. सूरा पुत्र छगना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
3. बाबूलाल पुत्र छगना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
4. राजेन्द्र पुत्र छगना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
5. श्योजी पुत्र छगना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
6. राजाराम पुत्र छगना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
7. चौथमल पुत्र छगना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
8. हेमराज पुत्र किशना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
9. लक्ष्मण पुत्र किशना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
10. रामावतार पुत्र किशना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
11. भवंरलाल पुत्र किशना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
12. जमना पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0

12/1. हरिराम पुत्र जमना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
12/2. खेमराज पुत्र जमना जाति मीणा निवासी गेरोटी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

तहसीलदार तहसील दूनी जिला टोंक राज0 **– प्रतिवादी –**

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार

<u>दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व बंटवारा आराजीयात</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज ओंकार पुत्र माधो कोम मीणा निवासी गेरोटी की खातेदारी की आराजीयात हाल ख0न0 232 रकबा 0.76 ख0न0 235 रकबा 0.48, ख0न0 293 रकबा 0. 10, ख0न0 408 रकबा 0.26, ख0न0 409 रकबा 0.17, ख0न0 410 रकबा 0.32, ख0न0 415 रकबा 0.07 है0 कुल किता 7 रकबा 2.16 है0 वाके ग्राम गेरोटी तहसील दूनी स्थित है। मृतक ओंकार बचपन से ही भगवान का भक्त था ओर गांव गांव घुमकर भगवान की भक्ति किया करता था। विवादित आराजी पर मृतक ओंकार का कभी भी कब्जा नही रहा। बल्कि वादीगण व उनके पिता ही काश्त करते थे ओर उसके बदले मे ओंकार को उसके भरण पोषण हेतु अनाज, रूपया पैसे दिया करते थे तथा ध्यान रखते थे। वादीगण जाति से मीणा समाज के लोग है उन पर उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। मीणा समाज मे शादी शुदा बेटियो का भी बाप की सम्पत्तियों में कोई अधिकार नही होता है। मृतक ओंकार वादीगण का रिश्ते मे बाबा लगता था और वह लाओलाद पोत हो गया था। वादीगण 1 ता 12 के पिता छगना व किशना तथा वादी नं0 3 जमना मृतक ओंकार के

श्रीमानजी,

जायज कायम मुकामान है। मृतक ओंकार वादीगण का पूर्वज है उसके कोई लड़की या पत्नि जीवित नही है। वादीगण मृतक के काका–बाबा मे वारिसान है वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस जीवित नही है। वादीगण 1 ता 12 के पिता छगना व किशना का देहान्त हो चुका है तथा जमना मौजूद है। वादीगण का मृतक ओंकार के जिन्दा रहते हुये ही विवादित आराजीयात पर कब्जा है आज भी वादीगण ही विवादित आराजीयात को काश्त कर रहे है। मौके पर वादीगण नं0 1/3, 1/3 हिस्सा विभाजित कर रखा है। वादीगण 1 ता 5 का 1/3 व 6 ता 12 का 1/3 तथा वादी नं0 13 का 1/3 हिस्से पर कब्जा है। और वादीगण मृतक ओंकार की जमीन की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस लिये यह वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी, आराजीयात एवं दुरूस्ती इन्द्राज का श्रीमान की सेवा मे पेश है। मृतक ओंकार का दिनांक 13.08.08 को देहान्त हो गया है तथा वादीगण का कब्जे अनुसार तकासमा भी कराया जावे। तहसीलदार देवली को जमीन का लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार बिन्दू संख्या 1 मुताबिक रेकार्ड स्वीकार है। बिन्दू संख्या 2 अस्वीकार है। राजस्व रेकार्ड में मृतक के नाम बैंक ऑफ बडौदा नगर के नाम रहन का इन्द्राज अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक ने उक्त भूमि पर बैंक से ऋण लिया है। बिन्दू संख्या 3 अस्वीकार है। बिन्दू संख्या 4 स्वीकार नही है। भू0अ0नि0 नगरफोर्ट एवं एन.टी.डी.आर. सा. नगरफोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार मृतक औंकार के रामनाथी बहिन है। जिसके वारिसान को कायम मुकामान नही बनाया गया है। पेरा नं0 5 अस्वीकार है। एन.टी.सा. नगरफोर्ट के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक शजरा नही है। पेरा नं0 6 अस्वीकार है। मृतक की बहिन रामनाथी के वारिसान का अंकन नही है। पेरा नं0 8 अस्वीकार है। पेरा नं0 9 वास्ते स्वंय सिद्ध करें।पेरा नं0 10, 11 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

विशेष कथनः– मृतक औंकार एक बहिन रामनाथी है। जिसके वर्तमान को कायम मुकामान नही बनया गया। तथा उक्त भूमि बडौदा बैंक नगरफोर्ट के नाम राहिन है। जिसमें बैंक को पक्षकार नही बनाया गया है। वारिसान के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 को अनुसूची के अनुसार वारिसान के नाम भूमि का हस्तान्तरण होता है। अतः उक्त वाद मे मृतक को बहिन रामनाथी के वारिसान को कायम मुकामान नही बनाया गया है। वाद पत्र निरस्त योग्य है।

पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बयान गवाह पी. डब्ल्यू 1 स्वयं वादी दुर्गालाल के करवाये। वादी ने प्रदर्श करवाये प्रदर्श–1 जमाबन्दी 2065–68, प्रदर्श–2 मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–3 पर्चा मौका ग्रम गेरोटी दिनांक 13.04.2011 पेश किये है और बयान गवाह पी. डब्ल्यू–2 हरिराम पुत्र जमनालाल मीणा निवासी गेरोटी, पी. डब्ल्यू–3 श्योजी पुत्र किशना मीणा निवासी गेरोटी, पी. डब्ल्यू–4 जुवारा पुत्र माधो मीणा निवासी गेरोटी के करवाये ।

पत्रावली जिरह वादी में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने पी. डब्ल्यू–1 से जिरह की जो लेखबद्ध होकर शामिल मिसल है।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेशकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य बंद।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

तहसीलदार दूनी बहस में अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक औकार वादीगण का पूर्वज है जो नाऔलाद फौत हो गया था। हालांकि उसके एक बहिन थी वो भी फौत हो चुकी है। उसके वारिसान को पक्षकार इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि मीणा जन जाति में हिन्दू उतराधिकार नियम लागू नहीं होता है और विवाह के बाद किसी मीणा जन जाति की लड़की का हक उसके पिता की सम्पति में नहीं रहता है। मृतक औकार वादीगण का रिश्ते मे काका–बाबा लगता था। इसलिए वादीगण ही मृतक औंकार के जायज वारिसान है।

तनकियातः–

1. **आया वादीगण विवादित आराजी ख. नं. 232 रकबा 0.76 है0, ख. नं. 235 रकबा 0.48 है0, ख. नं. 293 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 408 रकबा 0.26 है0, ख. नं. 409 रकबा 0.17 है0, ख. नं. 410 रकबा 0.32 है0, ख. नं. 415 रकबा 0.07 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.16 है0 वाके ग्राम गेरोटी तहसील देवली में खातेदारी में लगवाने व वादीगण के मध्य बंटवारा करवाने का हकदार है?**

–वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था इसके लिए वादीगण ने प्रदर्श–2 औकार लाल पुत्र माधो लाल मीणा का मृत्यु प्रमाण प्रत्र दिनांक 28.08.2008 पेश किया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2065–68 पेश की जिसमें औकार पुत्र माधो के खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 मौका पर्चा ग्राम गेरोटा जिसमें माधो के वारिसान में रामनाथी पुत्री व औकार पुत्र है। औकार के नाऔलाद फौत हो जाने से औकार की वारिस रामनाथी है। रामनाथी भी ससुराल में फौत हुई है। जबकि अधिवक्ता वादीगण का कथन है कि मीणा जनजाति में हिन्दू उतराधिकार कानून लागू नहीं होने से मृतक औकार के जायज वारिसान वादीगण है जबकि पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार वारिसान के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 को अनुसूची के अनुसार वारिसान के नाम भूमि का हस्तान्तरण होता है। अतः उक्त वाद मे मृतक को बहिन रामनाथी के वारिसान को कायम मुकामान नही बनाया गया है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहे। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन, अधिवक्ता वादी की बहस व उक्त तनकी का विवेचन करने पर वादीगण यह साबित नहीं कर पा रहे है कि वादीगण औकार के वारिसान है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि औकार के अन्य कोई वारिसान भी है। अतः तहसीलदार दूनी को निर्देश दिये जाते है कि जमाबन्दी सम्वत 2065–68 वाके ग्राम गेरोटी में मृतक औकार लाल पुत्र माधो लाल कौम मीणा के जायज वारिसान की जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली